



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1365/2026/185/22-2-2026-17(204)/2025
लखनऊ : दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2026) के अवसर पर जिला कारागार, गाजियाबाद में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी आरिफ (बन्दी सं0-228/2021) पुत्र श्री इलियास, डसना, थाना-मसूरी, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-597/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-5, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 13.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.05.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 04.04.2022 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2026 तक अपरिहार 16 वर्ष 03 माह 17 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 11 माह 10 दिन सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1365/2026/185 (1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्य, 30प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
- 3- पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रांट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।